

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 69
TO BE ANSWERED ON 22/07/2022

FRAUDULENT BENEFICIARIES UNDER PM-KISAN SCHEME

*69. SHRI BINOY VISWAM:

Will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare be pleased to State:

- (a) the total number of fraudulent beneficiaries/ineligible farmers identified under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Yojana since 2019, State-wise;
- (b) the total amount lost due to fraudulent transactions and the total amount recovered from fraudulent beneficiaries under the PM-KISAN scheme since 2019, State-wise; and
- (c) the action taken against officials responsible for these frauds?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)

- (a) to (c): A Statement is laid on the table of the House.

STATEMENT MADE IN REPLY TO (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 69 RAISED BY SHRI BINOY VISWAM, DUE FOR REPLY ON 22nd JULY, 2022.

(a) to (c): PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), one of the largest central sector schemes, is being implemented to supplement financial needs of land holding farmers of the country. Under the scheme, financial benefit of Rs 6000/- per year, in three equal installments, is transferred into the bank accounts of farmers.

Till date, 11.37 crore eligible farmers have been paid more than Rs. 2 lakh crores, under PM KISAN.

Benefits of the Scheme are given to a farmer family. The family should own cultivable land, as per land record system of the concerned State/UT. Cut-off date for land ownership is 1st February 2019, except in case of inheritance due to death of a beneficiary. Certain Categories of higher economic status are excluded from getting the benefit under the scheme, such as former and present holders of constitutional posts; former and present Ministers/ MPs/MLAs; all superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more; all serving or retired employee of the Center/ State Govt or PSEs (excluding Multi-Tasking Staff / Class IV/Group D employees); all persons who paid Income Tax in last assessment year; professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies; and Non-Resident Indians.

States/UTs identify and verify the beneficiaries under the scheme. Benefits are transferred to the beneficiaries through Direct Benefit Transfer mode, on the basis of verified data received from the States/UTs on the PM-KISAN portal. To help the States/UTs for automated validation of the beneficiaries' data, PM-KISAN portal has been integrated with the portals of Unique Identification Authority of India (UIDAI) for Aadhar authentication; with Public Finance Management System (PFMS) for validation of account and Government employees/pensioners data; with Income Tax department for validation of income tax payee status; and with National Payment Corporation of India (NPCI) for account validation and Aadhar based payments.

Eligible farmers are being enrolled and deceased/ineligible beneficiaries are being removed by way of continuous verification and validation of the beneficiary's data. The States/UTs have been provided with the option to mark beneficiaries as eligible to ineligible and vice versa, after due verification. E-KYC of all the beneficiaries is also being done to

verify their status. States/UTs have been asked to expedite the process for saturation of the scheme with all the eligible beneficiaries and removal of ineligible beneficiaries.

A few States reported instances of fraudulent transactions under the Scheme. These are Tamilnadu, Karnataka, Rajasthan and Gujarat.

Recoveries have also been made from fraudulent beneficiaries by the State Governments of Tamilnadu (Rs 163 Crore), Rajasthan(Rs 3.6lakh) Karnataka (Rs1.21 Crore) and Gujarat (Rs 41.76 lakh).Appropriate disciplinary action against the responsible officials have been taken by the State Governments and FIRs have been lodged, accordingly

State-wise details of action taken is as follows:

Tamilnadu: FIR has been filed in 16 Districts. 123 persons were arrested including contractual staff.102 contractual staffs, suspected to be directly or indirectly involved in these illegal activities, were terminated. Three block level Assistant Director of Agriculture where large number of entries took place were suspended. Departmental action instituted against the 71 officers who are responsible for the enrolment of fraudulent beneficiaries in PM-KISAN scheme.

Rajasthan: A six-member enquiry Committee was set up by the District Administration. The Committee which found that the ID of the Tahasildar was misused from 192 IP addresses to make self-registered farmers, eligible. FIR has been lodged by the district administration with the list of IP Addresses. Disciplinary action has been instituted against the then Tahasildar and the present Tahasildar for negligence in the matter and dereliction of duty.

Similarly, State of Gujarat and Karnataka have also registered FIRs on respective cases.

Further, following special measures have been taken by the Union Government:

- (i) The process of login credentials has been reviewed and new process has been implemented by the Government. In the process, use of government email id, two factor OTP authentication in mobile as well as in email has been made mandatory, apart from condition to change the password regularly.
- (ii) States/UTs have been instructed to recover the money and accordingly, a process to recover the money has been issued.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 69*
22 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थी

***69. श्री बिनोय विस्वम:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत पहचाने गए धोखेबाज लाभार्थियों/अपात्र किसानों की कुल संख्या राज्य-वार कितनी-कितनी है;
- (ख) वर्ष 2019 से पीएम-किसान योजना के अधीन कपटपूर्ण लेनदेन के कारण राज्य-वार कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है और धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों से कुल कितनी राशि वसूल की गई है; और
- (ग) इन धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 22.07.2022 को उत्तरार्थ 'प्रधानमंत्री-किसान स्कीम के तहत धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थी' के संबंध में श्री बिनोय विश्वम द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), जो केंद्रीय क्षेत्र की सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है, को देश के भू-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

पीएम किसान के तहत अब तक 11.37 करोड़ पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

योजना का लाभ किसान परिवार को दिया जाता है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली के अनुसार परिवार के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। लाभार्थी की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के मामले को छोड़कर, भूमि के स्वामित्व की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2019 है। उच्च आर्थिक स्थिति की कुछ श्रेणियों जैसे कि भूतपूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदधारक; भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/सांसद/विधायक; 10,000/- रुपये या इससे अधिक मासिक पेंशन वाले सभी अधिवर्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी; केंद्र / राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर); पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति; पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर; और अनिवासी भारतीय को स्कीम के तहत लाभ से अपवर्जित किया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करते हैं। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ अंतरित किया जाता है लाभार्थियों के डेटा के स्वचालित सत्यापन के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने हेतु पीएम-किसान पोर्टल को आधार प्रमाणीकरण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई); खाते और सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी डेटा के पुष्टीकरण के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस); आयकर दाता की स्थिति के पुष्टीकरण के लिए आयकर विभाग; और खाता पुष्टीकरण और आधार आधारित भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के पोर्टलों के साथ एकीकृत किया गया है।

पात्र किसानों को नामांकित किया जा रहा है और मृतक/अपात्र लाभार्थियों को लाभार्थी के डेटा के निरंतर सत्यापन और पुष्टीकरण के माध्यम से हटाया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित पुष्टीकरण के बाद लाभार्थियों को अपात्र और पात्र के रूप में चिह्नित करने का विकल्प प्रदान किया गया है। सभी लाभार्थियों की स्थिति सत्यापित करने के लिए ई-केवाईसी भी

किया जा रहा है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीम के साथ सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

कुछ राज्यों ने इस स्कीम के तहत धोखाधड़ीके मामलों की सूचना दी। इन राज्यों में तमिलनाडु,कर्नाटक, राजस्थानऔर गुजरात शामिल हैं।

राज्य सरकारों द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और तदनुसार प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। इन फर्जी लाभार्थियों से तमिलनाडु (163 करोड़ रुपये), राजस्थान (3.6लाख रुपये), कर्नाटक (1.21 करोड़ रुपये) और गुजरात (41.76 लाख रुपये) की राज्य सरकारों ने वसूलीभी की है।

की गई कार्रवाई का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

तमिलनाडु: 16 जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। संविदा कर्मियों सहित 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन अवैध गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के संदेह में 102 संविदा कर्मचारियों को समाप्त कर दिया गया। तीन प्रखंड स्तरीय सहायक कृषि निदेशक जहां बड़ी संख्या में प्रविष्टियां हुईं, उन्हें निलंबित कर दिया गया। फर्जी लाभार्थियों का पीएम-किसान योजना में नामांकन कराने वाले 71 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है।

राजस्थान : जिला प्रशासन की ओर से छह सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। समिति ने पाया कि स्व-पंजीकृत किसानों को पात्र बनाने के लिए 192 आईपी एड्रेस से तहसीलदार की आईडी का दुरुपयोग किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा आईपी एड्रेस की सूची के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्कालीन तहसीलदार और वर्तमान तहसीलदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

इसी तरह, गुजरात और कर्नाटक राज्य ने भी संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:

(i) लॉगिन क्रेडेंशियल की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और सरकार द्वारा नई प्रक्रिया लागू की गई है। इस प्रक्रिया में, पासवर्ड को नियमित रूप से बदलने की शर्त के अलावा, सरकारी ईमेल आईडी का उपयोग, मोबाइल के साथ-साथ ईमेल में भी दो फैक्टर ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन की वसूली करने का निर्देश दिया गया है और तदनुसार, धन की वसूली के लिए एक प्रक्रिया जारी की गई है।

श्री उपसभापति : ... (व्यवधान).. Question Hour is over. Now the House stands adjourned till 2.30 p.m.